आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 14.06.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और पी.एम. पोषण के तहत मुफ्त पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो को एक दिशा–निर्देश जारी किया है।
- राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा–नीट में कृपांक प्राप्त करने वाले एक हजार पांच सौ तिरसठ अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा तेईस जून को होगी।
- नगरपालिका परिषद द्वारा शहर में अवैध रूप से फेरी लगाने वाले रेहडी पटरी वालों को सड़क और अन्य स्थानों से हटाया जा रहा है।
- कला और संस्कृति विभाग पांच दिवसीय अभिरूचि कक्षा का आयोजन करेगा।
- एम. वी. कैम्पबेल–बे कल चेन्नई जाएगा।

<><><><><><>

शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और पीएम–पोषण के तहत मुफ्त पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक दिशा–निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। इनमें निःशुल्क वर्दी, पाठ्यपुस्तकें और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन शामिल हैं।

<><><><><><>

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि एक हजार पांच सौ तिरसठ नीट छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे, उनके पास तेईस जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एजेन्सी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम तीस जून तक घोषित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस बात को दोहराया कि वह नीट–यूजी दो हजार चौबीस प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा।

<><><><><><>

पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओं अभियान के तहत बिना वैध दस्तावेज के फेरी लगाने वाले रेहड़ी पटरी वालों को सड़क और अन्य स्थानों पर से हटाया गया। इस अभियान के तहत पी. बी. एम. सी. ने बाईस फलों के ठेलों और फूड स्टॉलों को ज़ब्त किया। पी. बी. एम. सी. की ओर से रेहडी पटरी वालों को यह निर्देश दिया गया है कि बिना वैध दस्तावेजों के सड़क के किनारे ठेला न लगाए। उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><>

ग्रेट निकोबार के ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए संबंधित कम्पनी द्वारा तेईस मई को सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट का मसौदा प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय, कैम्पबेल–बे के सहायक आयुक्त कार्यालय और शास्त्रीनगर तथा गांधीनगर, कैम्पबेल–बे के प्रधान कार्यालय में लोगो की समीक्षा के लिए उपलब्ध है। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में सभी संबंधित हितधारकों को छब्बीस जून शाम पांच बजे तक विभाग को लिखित रूप में अपनी टिप्पणी या आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया हैं। टिप्पणियां मेल के ज़रिए भी भेजी जा सकती है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग इस संबंध में अट्ठाईस जून को दिन में ग्यारह बजे कैम्पबेल–बे के गांधी नगर सामुदायिक भवन और दोपहर तीन बजे शास्त्री नगर में जन–सुनवाई करेगा। सभी संबंधित हितधारकों को जन–सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा गया है।

<><><><><><>

कला और संस्कृति विभाग पांच दिवसीय अभिरूचि कक्षा का आयोजन करेगा। अंडमान क्लब में शिल्प और चित्रकारी पर आयोजित होने वाली इस कक्षा में भाग लेने के इच्छुक बारह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और बेरोजगार युवाओं से आज तक अपने नाम सीधे या मेल के जरिए दर्ज कराने को कहा गया है।

<><><><><><><>

दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन की ओर से ज़िले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए अवैध खादान संचालन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में टेलराबाद और बिम्बलीटांग गांवों में अवैध खनन के मामले देखे गए है। ज़िला प्रशासन ने दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में शामिल अपराधियों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया और इस उद्‌दश्य के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों को भी ज़ब्त कर लिया गया है। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ किसी भी शिकायत के मामले में ज़िला प्रशासन से संपर्क करें। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

<><><><><><><>

टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में चार वर्षीय समन्वित शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई–विवरणिका और आवेदन फार्म ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक विद्यार्थी बारह जुलाई तक कॉलेज प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

<><><><><><><>

पूर्व पार्षद संजय मेशाक ने सेवानिवृत्त  फॉरेस्ट रेंजर और प्रातरापुर निवासी साहादेवन के निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका कल निधन हो गया। वे अठासी वर्ष के थे।

<><><><><><><>

एम. वी. कैम्पबेल–बे कल सुबह नौ बजे पोर्ट ब्लेयर से ननकौड़ी और कैम्पबेल–बे होते हुए चेन्नई जाएगा। अतिरिक्त सामान की जांच आज दिन में दो बजे से शाम चार बजे तक की जाएगी। यात्रियों की स्वास्थ्य परीक्षा कल सुबह सात बजे आरंभ होगी।

उधर, चेन्नई से आ रहे जहाज एम वी स्वराज द्वीप में कल सुबह छः बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। जहाज में छः सौ से अधिक यात्री सवार हैं और इससे एक सौ से अधिक मिट्रिक टन माल लाया जा रहा है। जहाज हैडो जेट्टी पर लगेगा।

<><><><><><><>

मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में दक्षिण अंडमान अंचल कृषि कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कृषि निदेशक ने द्वीपों में मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसानों से अनुरोध किया कि वे इस रियायती गतिविधि में शामिल होकर अपने आप को आर्थिक रूप से सम्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियायत के दर पर मधुमक्खियों के लिए पेटियां उपलब्ध कराई गई है और वैज्ञानिक तरीके से इच्छुक किसानों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तथा द्वीपों के युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले उपस्थिति का स्वागत करते हुए प्रभारी संयुक्त निदेशक ने मधुमक्खी पालन के लाभ और उपलब्ध कराई जा रही रियायत की जानकारी दी। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र से जुड़े इच्छुक किसानों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और कृषि उद्यमियों से मधुमक्खी पालन पर वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने नाम अंचल कृषि कार्यालय में दर्ज कराने को कहा गया है।

<><><><><><><>

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के सिलसिले में पोकाडेरा के ग्राम पंचायत हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्योत्तर अंडमान ज़िला बाल संरक्षण इकाई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ज़िला उपायुक्त दिलखुश मीणा मुख्य अतिथि थे, जबकि ज़िला पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल सम्माननीय अतिथि थी। ज़िला उपायुक्त ने कहा कि बाल श्रम एक जघन्य अपराध है। बच्चों को इस ओर न ढकेलते हुए उन्हें उचित शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सके। उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, इस ओर प्रयास करने को कहा।

ज़िला पुलिस अधीक्षक ने बाल श्रम और बाल शोषण को रोकने में कानून निर्माताओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए कड़े कानून और समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उन्हें स्मारिका भेंट की गई।

<><><><><><><>

समाचार पत्रों की सुर्खियां

मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने द्वीपसमूह में द्वितीय अण्डमान पर्यटन रोड़–शो का उद्घाटन किया कहा प्रशासन द्वीपों में पर्यटन को उसकी विशिष्टता प्रदर्शित करके बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है–द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार की बडी खबर है। अण्डमान क्रोनिकल ने इस खबर के अलावा इग्नों की ओर से वर्तमान डिग्री कार्यक्रमों के साथ दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को शुरू करने के समाचार को प्रमुखता दी है। मध्योत्तर अण्डमान ज़िला परिषद की ओर से विभिन्न गांव में चल रहे विकासीय कार्यों का जायज़ा लिए जाने के समाचार को द इको ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने के ऊपरी भग में जगह दी है, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल लाईन स्कूल में आयोजित समर कैम्प का समापन समारोह आयोजित करने के समाचार को–इंफो इंडिया में जगह मिली है।

<><><><><><><>